न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 80 / 2018

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 नन्दलाल पुत्र जीणराम जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम भीकमसरा तहसील फतेहपुर जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1 वासुदेव पुत्र जगुराम।
2 किशनलाल पुत्र कालूराम समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीगण भीकमसरा तहसील फतेहपुर जिला सीकर।
3 तहसीलदार महोदय, फतेहपुर प्रतिनिधि राज्य सरकार तहसील फतेहपुर जिला सीकर।

रेस्पोंडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमती रेणु मीणा आर.ए.एस. मुकदमा नम्बर 02/2018 बउनवानी नन्दलाल बनाम वासुदेव दिनांकित 15.06.2018

उपस्थित

1. श्री सोहनलाल चौधरी अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मदनलाल शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः—05.11.2018

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 2/2018 में पारित निर्णय दिनांक 15.06.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी अपीलांट ने विचारण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत कर स्वयं के खेत खसरा नम्बर 148 वाके ग्राम भीकमसरा में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 157,149 में से रास्ता मांगा गया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

आवेदन खारिज किया है जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट को सुनवाई का अवसर नही दिया गया तहसीलदार की मौका रिपोर्ट पर आपत्ति का अवसर नही दिया गया। विचारण न्यायालय ने सरसरी तौर पर निर्णय पारित कर आवेदन खारिज किया है जो विधि विरूद्व है अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया है कि इनके आवेदन के अनुसार 15 फिट कदिमी रास्ता प्रचलन में था खसरा नम्बर 157 आबादी भूमि है पंचायत को पक्षकार नही बनाया है जो रास्ता चालु है। उसका क्षेत्राधिकार ग्राम पंचायत/तहसीलदार को है जो धारा 251 के अन्तर्गत आता है न की 251ए के अन्तर्गत आता है पीठासीन अधिकारी स्वयं ने मौका देखा है अपीलांट द्वारा चाहे गये रास्ते पर मकानात बने हुये है अत विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र खारिज करने में कोई विधिक भूल नही की है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एंव विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है अपीलांट द्वारा चाहा गया रास्ता खसरा नम्बर 157 में से है जो मौका जांच रिपोर्ट में आबादी भूमि ग्राम पंचायत नयाबास के नाम दर्ज है जिसे विचारण न्यायालय में पक्षकार नही बनाया गया है इसी अनुसार खसरा नम्बर 149 के सन्दर्भ में मौका रिपोर्ट में अंकित है कि इस नम्बर में मौके पर आवासीय मकानात व भूखण्ड है खसरा नम्बर 157 में भी आवासीय मकान बने हुये है मौके पर इन खसरा नम्बरान में से कोई रास्ता नही है। विचारण न्यायालय ने इस मौका रिपोर्ट के आधार पर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रार्थी अपीलांट का आवेदन धारा 251ए की श्रेणी में नही होने से खारिज किया है विचारण न्यायालय का निर्णय मौका रिपोर्ट के आधार पर विधि सम्मत पाया जाता है जिसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 05.11.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर